कार्यालय प्राचार्य, वीर शहीद केसरी चन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून

महाविद्यालय परिसर में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1– महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियोग्राफी (किसी भी उद्देश्य– व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, सोसियल मीडिया रील्स/ब्लॉग्स आदि के लिये हो) हेतु महाविद्यालय प्रशासन से लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
अनुमति आवेदन में फोटो/शूटिंग का उद्देश्य, दिनांक, उपकरण विवरण और इसमें काम करने वाले व्यक्तियों की सूची देनी होगी।

2– किसी भी छात्र/छात्रा, शिक्षक या स्टाफ सदस्य का चेहरा वीडियो में दिखाने से पहले उसकी लिखित सहमति आवश्यक होगी।

3– परीक्षा नियन्त्रण कक्ष, परीक्षा कक्षों, निर्वाचन प्रक्रिया, रिकार्ड रूम, प्रशासनिक कक्षों, शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रा कॉमन रूम, छात्रावास परिसर में फोटो एवं वीडियोग्राफी पूर्णतः प्रतिबन्धित होगी।

4– परिसर के ऊपर ड्रोन कैमरे से फोटो/वीडियोग्राफी के लिये महाविद्यालय प्रशासन के साथ नागरिक उड्डयन के स्थानीय नियमों का पालन करना होगा।

5– बाहरी वीडियोग्राफरों को एवं टीम के सदस्यों को अपना परिचय पत्र प्राचार्य कार्यालय में जमा करना होगा।

6– रिकार्ड किये गये फोटो एवं वीडियो का उपयोग किसी भी ऐसे उद्देश्य (जैसे– राजनीतिक लाभ, छात्रों को भड़काने या असन्तोष पैदा करने,समाज में भ्रम फैलाने, या सौहार्द कम करने या अन्य आपत्ति जनक कार्य) जिससे संस्था की प्रतिष्ठा को हानि हो के लिये नहीं किया जायेगा।

7– यदि फोटो या वीडियाग्राफी से किसी निजता का उल्लंघन होता है,संस्था की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, प्रतिबन्धित क्षेत्र की फोटोग्राफी/शूटिंग की जाती है, तो भारतीय कानून व्यवस्था एवं संस्थान के नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

8– यदि काई भी फोटो/वीडियोग्राफी में एसओपी का उल्लंघन करता है उसके इस कार्य में लगे सभी उपकरणों जैसे– कैमरे, ड्रोन, मोबाइल फौन आदि अनुशासक मण्डल द्वारा जब्त किया जायेगा।

9– वीडियो तुरन्त नष्ट कर दी जायेगी।

10– इस कार्य में संलिप्त छात्र /छात्रा या छात्र/छात्रा समूह/संगठन को कुछ समय के लिये महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है अथवा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

11– यदि फोटो/वीडियोग्राफी से गोपनीयता भंग होती है या सुरक्षा को खतरा है तो भारतीय कानून व्यवस्था के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
एसओपी में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

21/8/2026

प्राचार्य
वीर शहीद केसरी चन्द
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डाकपत्थर, विकासनगर

प्राचार्य
वीर शहीद केसरी चन्द
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डाकपत्थर विकास नगर देहरादून